रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/आश्विन 8, 1936
No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

सं. 25024/9/2014-एफ.I.—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग -I, खण्ड-1, में दिनांक 19 अगस्त, 2002 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 19 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 26011/4/98–एफ.I में केन्द्रीय सरकार भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड (पी.आई.ओ. कार्ड) जारी करने संबंधी स्कीम, 2002 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम को भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड (पी.आई.ओ. कार्ड) जारी करने संबंधी स्कीम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक को लागू होगी।

2. भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड (पी.आई.ओ. कार्ड) जारी करने संबंधी स्कीम, 2002 में,—

(क) पैराग्राफ 6, के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6. पी.आई.ओ. कार्ड की वैधता—किसी आवेदक को जारी किया गया पी.आई.ओ कार्ड इसे जारी किए जाने की दिनांक से लेकर उसके पूरे जीवनकाल तक वैध रहेगा बशर्ते की ऐसे आवेदक के पास वैध पासपोर्ट हो।

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त पैराग्राफ के प्रयोजन हेतु, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से पूर्व जारी किया गया पी.आई.ओ. कार्ड इसके धारक के जीवनकाल तक वैध समझा जाएगा, यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट है।"

(क) पैराग्राफ 9 में,—

(i) उप-पैराग्राफ (ii) में, दिए गए शब्द और आंकड़ों "किसी एकल दौरे पर यदि वह भारत में 180 दिनों से अधिक नहीं ठहरता है" का लोप किया जाएगा;